

**कार्यालय कलेक्टर जिला पन्ना मध्यप्रदेश एवं पदेन
उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग**

पन्ना दिनांक 13/12/18

प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82 वर्ष 2018-19 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	अजयगढ	विश्रामगंज	ग्राम विश्रामगंज की शासकीय आराजी का क्षेत्रफल 8656.30 वर्ग मी० पर निर्मित कुल 134 मकान	कार्यपालन यंत्री जल-संसाधन संभाग, पन्ना	रुंज मध्यम सिचाई परियोजना अंतर्गत डूब में प्रभावित मकानों का अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Dandichra
(डी०एम०मिश्रा)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग अजयगढ
जिला पन्ना मध्यप्रदेश

Re
(जे०के० ठाकुर)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, पन्ना
जिला पन्ना मध्यप्रदेश

[मनोज खत्री]
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
म०प्र० शासन, राजस्व विभाग,
जिला पन्ना मध्यप्रदेश